(180)

पत्रांक वन विक्रय (आरा मिल) 18/07 1732

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

नागेन्द्र पाठक
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग,
मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक-20-7-09

विषयः— श्री रामखेलावन शर्मा, ग्राम— हनुमान नगर, पो0— मोहिउद्दीनगर, जिला— समस्तीपुर के आरा मिल संचालन के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्रीजी के विकास यात्रा के दौरान प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 277 वि0या0 दिनांक 27.04.09 एवं उद्योग विभाग के पत्रांक 1748 दिनांक 21.05.09

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि आवेदक श्री शर्मा के आवेदन विभागीय पत्रांक 1341 दिनांक 15—06—09 द्वारा भेजकर वन प्रमंडल पदाधिकारी बेगूसराय से प्रतिवेदन माँगा गया। तदनुसार वन प्रमंडल पदाधिकारी बेगूसराय के पत्रांक 1263 दिनांक 17.07.09 प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया है कि—

(1) श्री शर्मा के अभ्यावेदन में मुख्य रूप से उनके जप्त आरा मिल वापस दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है।

(2) यह भी उल्लेख किया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गठित केन्द्रीय प्राधिकृत समिति द्वारा समस्तीपुर जिला में 56 आरा मिलों को अनुज्ञप्ति देने का निदेश था। विभागीय पत्रांक 760 ई0 दिनांक 13.11.03 निर्गत के आलोक में 56 आरा मिलों की वरीयता सूची प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 5533 दिनांक 26.12.04 निर्गत पत्र के वरीयता सूची के आरा मिल की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई थी।

(3) श्री शर्मा द्वारा वन प्रमण्डलीय कार्यालय, बेगूसराय में वर्ष 2009 का नवीकरण हेतु कोई भी बैंक ड्राफ्ट समर्पित नहीं किया गया है एवं 2008 में समर्पित बैंक ड्राफ्ट को उनके पत्रांक 186 दिनांक 02.02.2008 द्वारा श्री शर्मा को कारण स्पष्ट करते हुए वापस किया जा चुका है।

(4) उल्लेखनीय है कि श्री शर्मा द्वारा जप्त आरा मिल के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 880/06 दायर किया गया है जिसमें विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा चुका है। जप्ती के विरूद्व मामला मा0 न्यायालय में लंबित रहने के कारण किसी प्रकार का निर्णय लेना समीचीन नहीं होगा।

अतः सम्प्रति यह मामला न्याय निर्णयाधीन है, इसकी सूचना मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर आवेदक को दी जा सकेगी।

विश्वासभाजन,
12.3.2009
(नागेन्द्र पाठक)
सरकार के उप सचिव